तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज (1)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/2/21	अधि० प्रार्थीगण उप०। प्रत्य. अधि० अप्रार्थी मुनी शर्मा जो मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं जवाब के अनुरूप रही। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 389 रकबा 0.66 हे०, 390/5478 रकबा 0.13 हे०, 390 रकबा 0.30 हे० वाके ग्राम भाबू में स्थित है जो ग्राम खिजुरिया की सरहद के पास स्थित है जिसमें आने जाने के लिए एक सुगम रास्ता रोडा - केकड़ी मार्ग से होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी की आ. ख. नं. 391 रकबा 0.37 हे०, 393 रकबा 0.93 हे० में होता हुआ प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि में आने जाने का एक मात्र सुगम व सुविधा जनक एक मात्र रास्ता है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु आ. ख. नं. 391 रकबा 0.37 हे० व ख. नं. 393 रकबा 0.93 हे० वाके ग्राम भाबू की पश्चिमी मेड़ के सहारे 15 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया जावे के उचित संशोधन जमा करवाने के लिए सहमत है। चाहे गये रास्ते के बाबत तहसीलदार को मौकिक रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार द्वारा वांछित रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल करा गया। अप्रार्थी नं. 1, 3 लगा. बावजूद पुकारा के उप० नहीं आये जिस पर उनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई।	

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अप्रार्थी नं. 8 ने जवाब पेश कर
कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र
गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया
है पूर्व से ही प्रार्थीगण की आराजियात
के पश्चिमी ओर सरहद खजूलिया में
स्थित है प्रार्थीगण की आराजियात के
पश्चिमी ओर 389/496 व ख.नं. 386/531
के पूर्वी मेड़ से परम्परागत रास्ता
प्रार्थीगण की आ.ख.नं. 388, 387 में
प्रार्थीगण की आराजियात है में आता जाता
रहा है प्रार्थीगण को अपनी आराजियात
में परम्परागत रास्ते का विकल्प होने
व आने जाने का रास्ता विद्यमान होने के
कारण उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं
है अप्रार्थी नं. 8 व अन्य पक्षकारान के
बीच अप्रार्थी नं. 1(क) ने अपनी आराजी
ख.नं. 391, 392 में आने जाने का रास्ते
बाबत उनवानी प्रकरण रामकरण बनाम
हीरा प्रकरण सं. 276/12 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
किये जाने पर दि० 17/10/2013 को जो
निर्णय पारित किया गया कि प्रार्थीगण
ग्राम रोपां व ग्राम भामू की सरहद
चरागाह भूमि ख.नं. 389/496 व ख.नं.
386/531 की मेड़ पर होकर मौके पर
रास्ता बना हुआ है जिस पर होकर अन्य
काश्तकार भी उनके खातेदारी के खेतों
में आते जाते है ऐसी स्थिति में आ.
ख.नं. 393 व 394 में होकर जो रास्ता
चाहा गया है वहां व मौके पर कोई
रास्ता कायम होना नहीं पाया जाता है
व चालू रास्ते बाबत ग्राम पंचायत/
तहसीलदार से कुरनाधिकार प्राप्त कर

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सकते है इस आधार पर अप्रार्थी की आराजी ख०नं० 393 में से रास्ता का प्रार्थना पत्र धारा 251-ए खारिज किया गया है" व न्यायालय हजा में ही विचाराधीन प्रकरण गोपाल बनाम अर्जना प्रकरण सं० 577/2019 में ग्राम रोपा की आराजी उक्त खसरा नम्बर में से रास्ते का प्रार्थना पत्र न्यायालय हजा में विचाराधीन है व तहसीलदार रोडाराम सिंह का निर्णय दि० 17/10/2015 तहत दफा 251 में दि० 17/10/2015 के निर्णय में ग्राम रोपा की उक्त आराजी के ख०नं० 386/531 व 389/496 रास्ता खुला होना अंकित कर सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का निर्णय पारित किया है जिसमें मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दि० 15/10/2015 में रास्ते के निशान कायम है रास्ता खुला हुआ है जिसमें से प्रार्थीगण अपनी आराजी ख०नं० 390, 389 व 390/5678 में आने जाने का पूर्व से ही रास्ता मौजूद है व प्रार्थी के आराजी ख०नं० 393 से पूर्व निर्णय से रास्ता नहीं दिये जाने के कारण पूर्व निर्णयों से पाबन्द है इसलिए प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में आने जाने का परम्परागत रास्ता सरहद खजूरिया रोपा में से है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हजा में कतई चलने योग्य नहीं है प्रार्थीगण को पूर्व से परम्परागत प्रचलित रास्ता बंद किये जाने पर धारा 251 में तहसीलदार/लैण्ड होल्डर रोडाराम सिंह से चाराजोई कर रास्ता खुलवाया कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र में नया मार्ग बनाने में पारम्परिक

Ruby

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज (7)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सहमति के कथन भी अंकित नहीं किये है न अपनी खेत में पहुंचने की आत्यंतिक आवश्यकता व वैकल्पिक साधन का अभाव भी प्रपत्र में अंकित नहीं किया है। अतः प्रकरण प्रार्थीगण मय लागत के खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण ने प्रपत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2074-77 खाता सं. 980, 948, 1040, 35, वाके ग्राम कापूर व नक्शा पेश किया। इसी प्रकार अप्रार्थी ने जवाब के समर्थन में नजरी नक्शा, जमाबंदी संवत 2074-77 खाता सं. 1040, 583, 1156, वाके कापूर तथा जमाबंदी सं. [illegible]-77 खाता सं. 127, 2, वाके [illegible] थेया, आदेश तहसीलदार दि० 17.10.2015, मौका रिपोर्ट पटवारी दि० 14.10.2014, नक्शा, उनवानी प्रकरण गोपाल बनाम अर्जुन अन्तर्गत धारा 251-ए मय नक्शा प्र.नं. 577/2017 तथा आदेश दिनांक 17/10/2013 उनवानी प्रकरण सं. 276/2012 रामकरण बनाम हीरा, प्रपत्र 251 (ए), जवाब प्रपत्र उनवानी प्रकरण रामकरण बनाम हीरा पेश किये। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी ख.नं. 389, 390/5438, 390 पर आने जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी की कृषि ख.नं. 391, 393 की पारिवारिक मेड़ पर होकर रास्ता चाहते है जिसके बाबत रिपोर्ट भी प्राप्त होकर शामिल मिसल की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात	

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज (5)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश उपखण्ड अधिकारी दि० 17/10/2013 बनाम रामकृष्ण बनाम हीरा के अनुसार प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 389/496 चरागाह की है इसके पश्चात ख. नं. 386/531 का खेत है उक्त दोनों चरागाह एवं प्रार्थी की खातेदारी के ख. नं. 386/531 में होकर मौके पर रास्ता बना हुआ है उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वयं के द्वारा मौका निरीक्षण के बाद उक्त आदेश पारित किया जाकर निर्णय अनुसार ख. नं. 389/496 व 386/531 की पूर्वी मेड़ के सहारे से परम्परागत रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात तक जा रहा है मौके पर रास्ता मौजूद होना निर्णय अनुसार जाहिर है यहां से होकर अन्य खातेदार भी आना जाना जाहिर है तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदेश तहसीलदार दि० 17/10/2015 के अवलोकन से भी जाहिर है कि ख. नं. 389/496 चरागाह व ख. नं. 386/531 की पूर्वी मेड़ ~~सहारे~~ पर आने जाने का रास्ता मौके पर बना हुआ है इस प्रकार उपरोक्तानुसार पूर्व निर्णय तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी दि० 17/10/2013 व निर्णय तहसीलदार दि० 17/10/2015 के अनुसार प्रार्थीगण की उक्त आराजियात तक पहुंचने हेतु ख. नं. 389/496, 386/531 की पूर्वी मेड़ पर होकर परम्परागत रास्ता मौजूद है अर्थात् मौके पर वैकल्पिक रास्ता कोई	

Kuldeep

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व ता... अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी हु...
	(6)	

होना चाहिए थी। पत्रावली पर उपलब्ध नकल रिपोर्ट पटवारी दि० 14/10/2019 के अनुसार भी मौके पर रास्ता मौजूद है ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र आधारित गलत तौर पर तथ्य छिपाकर पेश किया जाना चाहिए है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर दर्ज नम्बर के दाखिल दफ्तर हो। हुक्म आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पटवारी हल्का द्वारा जानबूझकर गलत रिपोर्ट पेश की है मौके पर रास्ता मौजूद होने के बाद भी उसका उल्लेख नहीं किया है जो कि पटवारी की राजकार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। सो पटवारी हल्का को नोटिस जारी होकर जवाब तीन यौम में व्यक्तिशः उप० हाजिर पेश करने हेतु जारी करें।

Rully

उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह (टोंक)